मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 17 .12.2021

क्रमांक/एफ 03-08/2007/**10-2**, राज्य शासन एतदद्वारा मंत्रि-परिषद की बैठक में आदेश आयटम क्रमांक-3 दिनांक 07/12/2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा के पैकेज में वृद्धि सहित योजना क्रमांक-5109 की निरंतरता की योजना के संबंध में निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) एवं टाइगर रिजर्व कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि रूपये 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख राज्य योजना में अंगीकार करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

2/ वन विभाग की ग्रामों के पुर्नवास हेतु योजना क्रमांक-5109 को आगामी पांच वर्षो अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के लिये वित्तीय आकार राशि रूपये 75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ कैम्पा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 04 वर्षों हेतु वित्तीय आकार रूपये 285 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

17/12/2021
(पदमाप्रिया बालकृष्णन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 03-08/2007/**10-2**

भोपाल, दिनांक 17 .**12.2021**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त् विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17/12/2021
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
National Tiger Conservation Authority
****

F. No. 15-3/2008-NTCA (Vol. III) Pt.

New Delhi, April 08th, 2021

ORDER

Reference is invited to the Gazette Notification No 244 Dated 8th November, 2012. Under the ongoing Centrally Sponsored Scheme – Project Tiger (CSS-Project Tiger) the funding assistance for voluntary village relocation is provided at the rate of Rs 10 lakh (Rupees ten lakh only) per family. Now with the approval of the Competent Authority, the rate of funding assistance is enhanced from Rs 10 lakh per family to Rs 15 lakh (Rupees fifteen lakh only) per family with immediate effect.

This issues with the approval of Competent Authority.

Garawad 08/04/21

(Rajendra G. Garawad)
Deputy Inspector General (NTCA)
Email: dig2-ntca@nic.in
Tel. (EPABX): + 91 11 24367837-39
FAX: +91 11 24367836

Copy to:

1. The Pay & Accounts Officer, MoEF&CC, New Delhi.
2. Deputy Secretary, IFD (FF), MoEF&CC, New Delhi.
3. The PS to Hon'ble MEF&CC, GoI, New Delhi.
4. The Sr. PPS to Secretary (EF&CC), MoEF&CC, New Delhi.
5. The Sr. PPS to DGF & SS, MoEF&CC, New Delhi.

Distribution:

1. The Chief Wildlife Warden(s), All Tiger Range States.
2. The Field Director (s), All Tiger Reserves.
3. IGF / AIGF, NTCA, Regional office, Bengaluru, Guwahati, Nagpur.